









अम्बेरी आवासीय योजना में भूखण्ड हेतु आवेदन विवरणिका





URBAN IMPROVEMENT TRUST, UDAIPUR

Saheli Marg, Udaipur. Phone: 0294-2413735, 2425035 **E-mail:** uitudaipur@rediffmail.com **Website:** www.uitudaipur.org

आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय:- 01-01-2022 प्रातः 10.00 बजे से आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय:- 31-01-2022 सांयः 5.00 बजे तक



चेतन देवड़ा जिला कलक्टर एवं अध्यक्षा, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

इनीलों की नगरी उदयपुर के उत्तर में जिला मुख्यालय से लगभग 8 किमी. दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के समीप नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा एक नई आवासीय योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है। योजना का कुल क्षेत्रफल 10.1900 हैक्टेयर है। इस योजना में आम जनता के लिये विभिन्न श्रेणी के 183 आवासीय भूखण्डों का आवंटन किये जाने का प्रावधान है, जिसमें समाज के सभी वर्गों यथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिये अलग–अलग भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं। इस योजना के धरातल पर आने से राज्य सरकार का सपना–सबका आवास हो अपना भी साकार हो सकेगा।

इस सुअवसर का लाभ उठावें एवं योजना में आवेदन कर राज्य सरकार तथा अपने सपने को साकार करें।

शुभकामनाओं सहित

{2}

चेतन देवड़ा

जिला कलक्टर एवं अध्यक्षा, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर



नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर राजस्थान अम्बेरी आवासीय योजना



भूखण्ड आंवटन एक नजर

| 1 | अम्बेरी आवासीय योजना में E-Lottery के माध्यम से आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड़ों की संख्या | 183 |
|---|---|----------------|
| 2 | आवेदन शुल्क अ–आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के आवेदकों के लिए ब–शेष समस्त श्रेणी के आवेदकों के लिए | 1000 2000 |
| 3 | धरोहर राशि अ–आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के आवेदकों के लिए ब–शेष समस्त श्रेणी के आवेदकों के लिए | 10000 15000 |

अरुण कुमार हसीजा सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

अम्बेरी आवासीय योजना

भूखण्डों के आवंटन हेतु सामान्य नियम व शर्ते

अम्बेरी आवासीय योजना में ई-लॉटरी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लगभग 170 आवासीय भूखण्ड विभिन्न आय वर्गों के जन साधारण को आवंटन हेतु आवंदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1 पात्रताः

राजस्थान राज्य के ऐसे सभी वयस्क मूल निवासी जिनके पित / पत्नी / माता / पिता अथवा आश्रित बच्चों के पास पूर्णतः / अंशतः पट्टाधारिता या मुक्तधारिता अथवा किराया क्रय पद्धित के आधार पर उदयपुर या राजस्थान के 50 हजार से अधिक आबादी वाले किसी भी नगरीय क्षेत्र में भूखण्ड / भवन / फ्लेट न हो या न ही आवंटित किया गया हो। पित / पत्नी एवं आश्रित माता / पिता तथा बच्चे आवंटन हेतु पृथक नहीं समझे जायेंगे और इस उदेष्य हेतु सभी एक इकाई ही माने जायेंगे।

2 भुखण्डो एवं आवेदको की श्रेणी:

इस योजना के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदको की आय वर्ग श्रेणी, भूखण्डो का आकार एवं राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

आरक्षित दर - 1250/- प्रति वर्गफीट

| क्र. सं. | भूखण्ड की श्रेणी | आय वर्ग | भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | भूखण्डो की संख्या | आवंटन की दर | आवंटन दर प्रति वर्गफीट (रु. में) |
|-------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | E.W.S. | आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय 3,00,000/– तक) | | 32 | आरक्षित दर का 50% | 625/- |
| 2 | L.I.G. | अल्प आय वर्ग (वार्षिक आय 3,00,001/- से 6,00,000/- तक) | 45 व.मी. से 75 व.मी. तक | 42 | आरक्षित दर का 80% | 1000/- |
| 3 | MIG-A | मध्यम आय वर्ग-अ (वार्षिक आय 6,00,001/- से 12,00,000/- तक) | 75 व.मी. से 120 व.मी. तक | 33 | आरक्षित दर पर | 1250/- |
| 4 | MIG-B | मध्यम आय वर्ग-ब (वार्षिक आय 12,00,001/- से 18,00,000/- तक) | 120 व.मी. से 220 व.मी. तक | 42 | आरक्षित दर का 105% | 1313/- |
| 5 | HIG | उच्च आय वर्ग (वार्षिक आय 18,00,000/– से अधिक) | 220 व.मी. से अधिक | 34 | आरक्षित दर का 110% | 1375/- |

टिपण्णी: 1- आवंटन हेतु प्रस्तावित भुखण्डो की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

2- भूखण्ड आवंटन की वास्तविक दर भूखण्डो के क्षेत्रफल की श्रेणी के अनुसार देय होगी।

3 आवेदन की प्रक्रियाः

E-Lottery में भाग लेने हेतु भूखण्ड़ों के लिए न्यास की वेबसाईट <u>www.uitudaipur.org</u> पर आवेदन किया जा सकेगा।

{4}

। पंजीकरण की प्रक्रियाः

E-Lottery में भाग लेने हेतु न्यास की वेबसाईट www.uitudaipur.org पर आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करा आवेदन किया जा सकता हैं।

टिपप्णी:

- (1) यदि एक आवेदक द्वारा एक से अधिक श्रेणी के भूखण्डो हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसे आवेदक के सभी आवेदन नियमानुसार रदद किये जायेंगे।
- (2) अपूर्ण आवेदन-पत्र नियमानुसार रद्द कर दिये जायेंगे।

5 लीज पट्टा की समय अवधि:

आवासीय भुखण्ड का आवंटन लीज/फ्री-होल्ड पर किया जा सकेगा, लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी।

6 भुखण्डो के आवंटन में आरक्षण:

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना कमांक F.17(22)/UDH/RULES/2020 Dated 04-01-2021 के अनुसार ई-लॉटरी हेतु आरक्षण निम्नानुसार निर्धारित हैं। आवेदक को किसी एक श्रेणी में ही आवेदन करना होगा:-

| क. सं. | आंवटन हेतु श्रेणियाँ | आरक्षण का विवरण |
|--------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | अ– राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी (वार्षिक आय 20.00 लाख रूपये तक) ब– राज्य कर्मचारी की विधवा (पति की मृत्यु के 10 वर्ष तक) जिनके पति की वार्षिक आय मृत्यु के समय 6.00 लाख रूपये से अधिक न हो) स– केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (वार्षिक आय 20.00 लाख रूपये तक) | 10% |
| 2 | सैनिक/भूतपूर्व सैनिक (वार्षिक आय 20.00 लाख रूपये तक) | 10% |
| 3 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (वार्षिक आय 20.00 लाख रूपये तक) | 15% |
| 4 | अधिस्वीकृत पत्रकार (वार्षिक आय 20.00 लाख रूपये तक) | 2% |
| 5 | परलैंगिक (Transgender) व्यक्ति (वार्षिक आय 20.00 लाख रूपये तक) | 2% |

नोट ..

- 1- द्विव्यागंजनों (जिनकी वार्षिक आय 20.00 लाख रूपये से अधिक न हो) के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज (HORIZONTAL) आरक्षण होगा जो कि बिन्दू संख्या 2 में वर्णित सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित एवं अनारक्षित भूखण्ड़ों के विरूद्ध समायोजित होगा।
- 2- निराश्रित भूमिहीन एकल महिला (जिनकी वार्षिक आय 0.80 लाख रूपये से अधिक न हो) के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज (HORIZONTAL) आरक्षण होगा जो कि बिन्दू संख्या 2 में वर्णित आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी एवं अनारक्षित भूखण्डों के विरूद्ध समायोजित होगा।

- 3 अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण होगा जो कि बिन्दू संख्या 2 में वर्णित आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी, अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग (MIG-A) श्रेणी में समायोजित होगा।
- 4 परलैंगिक (Transgender) व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण होगा जो कि बिन्दू संख्या 2 में वर्णित आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी, अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग (MIG-A) श्रेणी में समायोजित होगा।

आरक्षण हेतु पात्रता नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.17(22)/UDH/RULES/2020 Dated 04-01-2021 के अनुसार होगी।

- 7 किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्ड़ों का आवंटन सामान्य वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
- 8 विकलांग श्रेणी में केवल वे आवेदक ही आवेदन प्रस्तुत करें जो द्विव्यागंजन अधिकार अधिनियम(RPWD ACT) 2016 के अनुसार विकलांग घोषित किये गये हों। विकलांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की तिथि तक जारी किया हुआ हो।
- १ राज्य कर्मचारी के लिये आरक्षित भूखण्ड़ों हेतु ऐसे आवेदक ही पात्र होगें जो राज्य सरकार की सेवा में निर्धारित वेतनमानों में सेवारत है अर्थात् जो व्यक्ति राजस्थान सरकार / राजकीय विश्वविद्यालय / राज्य स्थानीय निकाय / राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीन कार्यरत होकर निर्धारित आय सीमा में आते है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी पात्र होंगे लेकिन केन्द्रीय उपक्रमों के कर्मचारी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 10 आरक्षण केवल एक ही वर्ग में मान्य होगा जैसे व्यक्ति अनुसुचित जाति वर्ग का है व विकलांग भी है व भूतपूर्व सैनिक भी है व पत्रकार भी है तो केवल एक ही वर्ग में आवेदन किया जावे।
- 11 सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस. एफ. में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके पति ⁄ पत्नी से है ।
- 12 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उनमें से केवल एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है अर्थात् सैनिक वर्ग में केवल उसी स्थिति में पित अथवा पत्नी द्वारा आरक्षित कोटे (सैनिक) से आवेदन किया जा सकता है, जब स्वयं सैनिक द्वारा आवेदन नहीं किया गया हो
- 13 सैनिक अथवा उसके पित / पत्नी को पूर्व में राज्य की किसी यू.आई.टी. अथवा विकास प्राधिकरण की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड़ / आवासगृह आवंटन होने की स्थिति में वह भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे। ऐसा पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 14 मृतक सैनिक के परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
- 15 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ठ प्रारूप अनुसार 50/- रू नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 16 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है) के लिये आरक्षित भूखण्ड का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा, इसके लिये संबंधित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है :-
 - (अ) उन सैनिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो, एवं बी.एस.एफ., सी. आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. के उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।
 - (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. के कार्मिकों सहित)
 - (स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. के कार्मिकों सहित)

- 17 लॉटरी में सफल आवेदकों को लॉटरी तिथि से 30 दिवस में निम्न मूल दस्तावेज न्यास कार्यालय में मय फोटोकॉपी प्रस्तुत कर सत्यापित कराने होगें:-
 - आय प्रमाण-पत्र, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पिल्लक के द्धारा सत्यापित कर के देना होगा।
 - आवेदक का राजस्थान का मुल निवासी होने का बोनाफाईड प्रमाण-पत्र।
 - आधार कार्ड/पहचान-पत्र की सत्यापित प्रति।
 - पात्रता सम्बन्धी अन्य प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र जो आवेदक पर लागू हों।

18 नगरीय शुल्क:

I- लीज होल्ड

प्रीमीयम के अतिरिक्त लीज पट्टाधारक निम्न विवरण अनुसार वार्षिक नगरीय शुल्क अदा करेगा:–

- (1) प्रथम पांच वर्षो के लिये आरक्षित दर का सवा एक प्रतिशत एवं तत्पश्चात् ढाई प्रतिशत की दर से वार्षिक नगरीय शुल्क देय होगा।
- (2) नगरीय शुल्क हर 15 वर्ष बाद बढाया जा सकेगा परन्तु यह वृद्धि प्रत्येक बार 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (3) नगरीय शुल्क का भुगतान प्रतिवर्ष अग्रिम कराना होगा। प्रथम भुगतान भूखण्ड के लीज पट्टा प्रलेख निष्पादन के समय देय होगा। लीज पट्टा किराये के अग्रिम भुगतान में चूक की स्थिति में ब्याज देय होगा। नगरीय शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आवंटी/लीज पट्टाधारक की होगी।

अथवा

लीज पट्टा किराया ८ वर्षो का एक मुश्त अग्रिम जमा कराकर नगरीय शुल्क मुक्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

II-फ्री होल्ड:

आवंटी द्धारा 10 वर्षो का लीज पट्टा किराया एक मुश्त अग्रिम जमा करा कर फ्री–होल्ड पट्टा प्राप्त किया जा सकता हैं।

१९ भुगतान:

- (1) सफल आवेदकों को भूखण्ड की शेष कुल राशि आवंटन पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में बिना ब्याज के जमा करानी होगी। यदि 30 दिन के अन्दर देय राशि का भूगतान नहीं किया जाता है तो उक्त आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
- (2) समस्त भुगतान निर्धारित अवधि में RTGS/NEFT के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे। तथापि अपवाद स्वरूप परिस्थितियो में न्यास दो वर्ष तक तथा राज्य सरकार दो वर्ष से अधिक समयाविध के लिये अपने पूर्ण स्वविवेकानुसार देय धनरािश को जमा करने में सक्षम हैं, परन्तु ऐसी परिस्थिति में नियमानुसार ब्याज एवं शास्ति देय होगी।

20 आवंटन की प्रक्रिया:

- (1) भूखण्डों का आवटन नियमानुसार ई-लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।
- (2) जिन आवेदको को भूखण्ड आवंदित नहीं हो पाता है उनको धरोहर राशि बिना ब्याज के वापिस लीटा दी जावेगी। आवेदन–पत्र में अपना बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम,आई.एफ.एस.सी. कोड, शाखा का नाम लिखे ताकि राशि ऑनलाईन लीटाई जा सकें।

21 समर्पण:

- (1) आवेदक द्धारा लॉटरी से पूर्व आवेदन समाप्त करने का इच्छुक होने की दशा में सचिव, न्यास इसकी अनुमित प्रदान कर सकेंगे।
- (2) ई-लॉटरी में सफल आवेदक द्धारा भूखण्ड़ समर्पण हेतु आवेदन करने पर जमा धरोहर राशि में से 5 प्रतिशत राशि की कटौति कर शेष धनराशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी, इस हेतु आवेदन लॉटरी की दिनांक से 30 दिवस के भीतर करना होगा।

22 आवेदन की प्रविष्ठियों में परिवर्तन :

आवेदन किये जाने के पश्चात् सचिव, न्यास की पूर्वानुमित के बिना पते में परिवर्तन के अतिरिक्त कोई संशोधन नहीं किया जावेगा। आवेदन में उल्लेखित सूचनाओं के आधार पर ही आवेदन पर निर्णय किया जावेगा। पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो पंजीकृत डाक द्धारा सूचना सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उद्धयपूर को प्रेषित की जावेगी। यदि पतें में परिवर्तन के परिणामस्वरूप या अन्य किसी कारण से आवंटी को सुचना विलम्ब से प्राप्त होने की रिश्यति में भी आवंटन की तिथि, आवंटन राशि एवं भूगतान की तिथि यथावत रहेगी।

23. लीज पट्टा प्रलेख का निष्पादन एवं कब्जा :

आवटी को आवटन पत्र में वर्णित तिथि तक राशि जमा करा भूखण्ड कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त विधिवत प्रलेख का निष्पादन कराना होगा। यदि निर्धारित अवधि में लीज पटुटा प्रलेख का निष्पादन नहीं कराया जाता हैं तो भूखण्ड के आवंटन के निरस्तीकरण एवं जमा राशि के जब्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी। कब्जा पत्र जारी होने की तिथी से लीज राशि की गणना की जावेगी।

24. भुखण्डु का क्षेत्रफल:

आवंटित अथवा हस्तगत भूखण्ड् का क्षेत्रफल योजना में प्रकाशित अथवा आवेदित क्षेत्रफल से भिन्न हो सकता है। न्यास द्धारा जारी आवटन पत्र में भुखण्ड का क्षेत्रफल अथवा आवटी को वास्तविक हस्तगत क्षेत्रफल आवेदित श्रेणी से कम या अधिक होता हैं तो भूखण्ड आवंटी को स्वीकार करना होगा, तथा कम या अधिक क्षेत्रफल की राशि ली एवं दी जावेगी।

25. जैसा हैं जहाँ हैं:

आवंटी द्धारा भूखण्ड् जैसा हैं जहां हैं के आधार पर अन्तिम रूप से स्वीकार किया जावेगा। वर्तमान में भूखण्ड् अविकसित हैं।

26. मूल्य एवं हस्तान्तरण शुल्क:

विधिक प्रलेखों के निष्पादन हेतु स्टाम्प, पंजीकरण शुल्क तथा इस संदर्भ में समस्त देय धनराशि आवंटी द्धारा वहन की जावेगी।

27. निर्माण की समयाविधः

आवटी/लीज पट्टाधारक को आवटन पत्र जारी होने की तिथि से सात वर्षों के भीतर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा। यदि आवंटी/लीज पट्टाधारक निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं करता हैं तो लीज पट्टा निरस्त समझा जायेगा तथा सम्पत्ति पर आवंटी/लीज पर्टाधारक के अधिकार समाप्त समझे जायेगे, परन्तु विषेष परिस्थितियों में राज्य सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशानुसार न्यास द्धारा भवन निर्माण की समयावधि निर्धारित शास्ती के साथ बढाई जा सकेगी।

28 उपयोग:

भूखाण्ड का उपयोग केवल आवासीय उपयोग के लिये ही किया जायेगा। आवंटी ऐसा कोई कृत्य/कार्यवाही उक्त क्षेत्र में नहीं करेगा जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण अथवा शांति भंग हो अथवा भूमि के उपयोग में निर्धारित उद्देश्य का दूरूपयोग हो। आवासीय भूखण्ड अथवा उसके आंशिक भाग को दुकान, कार्यालय, नर्सिग होम, स्कूल आदि के रूप में प्रयोग को शर्तो का उल्लंघन समझा जायेगा। न्यास ऐसी परिस्थितियों में धारा 24 में वर्णित कार्यवाही आवंटी/लीज पट्टाधारक के विरुद्ध करेगा।

29 नियमावली का आंकलन

- (1)भवन निर्माण का कार्य सक्षाम अधिकारी द्धारा अनुमोदित भवन नक्शे एवं विशिष्टताओं के अनुसार किया जायेगा।
- (2)आवटी/लीज पट्टाधारक को भूखण्ड का पूर्नीविभाजन तथा किसी अन्य भूखण्ड में समायोजन बिना न्यास स्वीकृति के नहीं करा सकेगा।

30 हस्तान्तरण:

भूखण्ड एव उस पर बने भवन का हस्तान्तरण भूखण्ड आवटन की तिथि से 10 वर्ष से पूर्व बिना न्यास की पूर्वानुमित के नहीं किया जायेगा।

मिथ्या निरूपण के परिणाम :

यदि आवेदक द्धारा मिथ्यारूपण/मिथ्या कथन अथवा धोखा किया जाना पाया जाता हैं तो उसके द्धारा जमा की गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा इस प्रकार किये गये मिथ्यारूपण/धोखे के परिणाम स्वरूप कानूनी कार्यवाही की जावेगी। आवंटी/लीज पट्टे के पश्चात् यदि पाया जाता हैं कि भूखण्ड का आवंटन/लीज पट्टा मिथ्यारूपण, मिथ्याकथन अथवा धोखें से ग्रहण किया गया हैं तो आवंटन/लीज पट्टा, निरस्त/पर्यावसन/रद्द कर दिया जाएगा तथा न्यास द्धारा भूखण्ड अथवा भवन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा और आवटी/लीज पट्टाधारक किसी भी प्रकार का प्रतिकर पाने का हकदार नहीं होगा। समस्त जमा धनराशि न्यास द्धारा जब्त कर ली जाएगी तथा न्यास ऐसे आवंटी/लीज पट्टाधारक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगी।

32 अन्य धाराएँ :

- (1) न्यास को पूर्ण अधिकार होगा कि उसके द्धारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय–समय पर योजना/आवटी की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन करे।
- (2) शर्तों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण में विवाद होने की स्थित में न्यास का निर्णय अन्तिम होगा।
- (3) आवंटन/लीज पट्टा के संदर्भ में समस्त विवादों तथा वाद बिन्दुओं के निर्धारण हेतु जिला न्यायालय जहाँ पर सम्पति रिश्यत हैं, का क्षेत्राधिकार होगा।
- (4) आवटी राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के प्रावधानों तथा इस संदर्भ में नियम एवं शर्तों तथा इस हेतु जारी निर्देशों द्धारा शासित होगा।

33 आवेदन करते समय कृपया सुनिश्चित कर लें कि :-

ऑनलाईन आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ भर दी गई है।

निर्धारित प्रारूप का शपथ-पत्र विधिवत ऑनलाईन दे दिया गया है।

आय, मूल–निवास, शपथ–पत्र, राज्य कर्मचारी एवं आरक्षाण चाहुने की स्थिति में आरक्षित वर्ग की समस्त पात्रता आवे रखता है।

निधारित स्थान पर आवेढक का पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड कर दिया गया है।

पत्रकार कोटे में आवेदनकर्ता को अधिस्वीकृत पत्रकार होना अनिवार्य है, इस हेतू निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान सरकार अथवा DAVP द्धारा जारी निर्धारित अधिस्वीकृत पत्रकार होने का प्रमाण-पत्र आवेदन की तिथि को आवेदक के पास उपलब्ध है।

34. वेबसाइट पर सूचनाओं का प्रकाशन:

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्धारा योजना के आवेदन पत्रो की प्रारम्भिक जांच में प्राप्त सूचना अनुसार निरस्त आवेदन पत्रों के आवेदकों की सूची नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की वेबसाइट पर अवलोकनार्थ जारी की जावेगी। प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रो की आवंटन से पूर्व यह उपधारणा करते हुये कि आवेदक ने समस्त सूचनाएं एवं ऑनलाईन शपथ पत्र सत्य प्रस्तुत किये हैं, मात्र प्रारम्भिक जांच ही की जायेग परन्तु लॉटरी के बाद प्रत्येक सफल आवेदक के आवेदन पत्र की पूर्ण गहन जांच की जायेगी एवं ऐसी जांच में आवेदन पत्र अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/असत्य अथवा निरस्त योग्य पाये जाने पर आवेदन पत्र व आवंदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।

योजना से संबंधित जानकारी समय समय पर न्यास की वेबसाइट www.uitudaipur.org & www.urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur पर न्यास द्धारा लिये जाने वाले निर्णर्य/निर्देश और सूचनाओं को प्रकाशित किया जायेगा। कृपया आवश्यक सूचनाओं हेतु उक्त वेबसाईट का समय समय पर अवलोकन करते रहें।

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य)

जो लागू न हो उसे काट दे

50/- रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर

शपथ पत्र

| Ť | पिता ⁄ पित वर्ग (कोई एक) : अनु. |
|------------|--|
| नार्ग | ते/अनु. जनजाति/विकलांग/ अधिस्वीकृत पत्रकार/ राजकीय कर्मचारी/सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/ भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित |
| भार | यु शपथ पूर्वक- निम्न कथन करता हूँ कि :- |
| ١. | मैं शहर⁄ गांव जिला जिला राज्य राज्य का मूल निवासी हूं और मेरी दिनांक |
| | को आयु 18 वर्ष से अधिक है। |
| 2. | मेरा व्यवसाय है तथा मेरी व मुझ पर आश्रित परिवार के सदस्यों की समस्त स्रोतों से आय रू. (अंकों में) |
| | (शब्दों में) वार्षिक है।(वेतनभोगी अपने नियोक्ता का |
| | प्रमाण-पत्र देवें।) |
| 3. | मैं राजस्थान राज्य के लिये विधिवत अधिसूचित अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य हूं और पुष्टि में सक्षम |
| | प्राधिकारी का पद⁄ नाम से जारी प्रमाण पत्र संख्या दिनांक दिनांक संलग्न है। |
| ١. | मैं राज्य सरकार / स्वायतशाषी निकाय का कर्मचारी हूँ तथा |
| | विभाग में से कार्यरत हूँ। पुष्टि में नियोक्ता का प्रमाण |
| | पत्र संलग्न है। |
| ; . | मैं भारत संघ की सशस्त्र सेनाओं का भूतपूर्व सेनाओं का भूतपूर्व कमीं होकर सेवानिवृत्त सैनिक हूँ। युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा |
| | आरक्षित⁄युद्ध में विकलांग अंकित हूँ। पुष्टि में राज्य⁄ जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| · | मेरे या मेरे परिवार में पति ⁄पत्नी ⁄आश्रित के नाम राजस्थान के किसी ऐसे शहर या कस्बे में जिसकी जनसंख्या 50,000 से अधिक हो, |
| | में भूखण्ड /भू-खण्ड या भवन (लीज होल्ड /फी होल्ड पर) नहीं है। |
| ' . | मैं ने एवं पति, पत्नी, आश्रित द्वारा पूर्व में किसी नगर विकास प्रन्यास ⁄विकास प्राधिकरण |
| | या अन्य स्थानीय निकाय से रियायती दर या किसी भवन या भूखण्ड का आवंटन प्राप्त नहीं किया है। |
| 3. | मैं ने आवेदन पत्र की समस्त शर्तों को ध्यापूर्वक पढ़ लिया है इन्हें एवं शहरी निस्तारण |
| • | नियम 1974 एवं उसके समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों के अधीन आवंटन हेतु आवंदन किया है। इन्हें एवं राज्य सरकार/ |
| | प्रन्यास द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने को मैं व्यक्तिगत रूप से बाध्य होऊंगा। |
| | प्राचास क्षारा जाजरात्रिया यम मा राज्याचरातार राज्य स्व जाञ्च हाउमा र |
| टेन | iia |
| ١٠٧ | |
| भार | नहस्ताक्षर शपथ गृहीता |
| Μ. | सत्यापन |
| | (राजाचा |
| ť | उपरोक्त शपथ-गृहीता यह शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र में अंकित उक्त समस्त |
| | ग्नामार्थे विज्ञान, विश्वास व जानकारी से सही है इसमें मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है और न ही कोई तथ्य गलत अंकित है। किसी तथ्य |
| | गलत पाये जाने पर आवंटन की दशा में आवंटन एवं आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। |
| ٠, ` | तरात नाम भार मर जानका नम पुरार म जानका हुन जानका मन रारस्ता काना जा सकागा । |
| | आवेदक के हस्ताक्षर |
| | जायदेश के हसाक्र |
| | हस्ताक्षार मय सील |
| | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटरी पिठलक |

(जो लागू न हो उसे काट दें)

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) कोटे हेतु आरक्षित भूखण्ड हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैंआयु निवासी निवासी शपथ पूर्वक घोषणा करता ⁄ करती हूँ , कि

- 1. यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।
- 2. यह कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की अम्बेरी आवासीया योजना के भूखण्ड में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन ⁄ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 3. यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्ड हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी / मेरी पत्नी / पुत्र/ पुत्री / पति श्री/श्रीमती /सुश्री द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।
- 4. यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ गृहीता

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता ⁄ करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्रीने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांकको ली है।

हस्ताक्षर मय सील प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ⁄कार्यपालक मजिस्ट्रेट ⁄ नोटरी पब्लिक

(शपथ-पत्र 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिये एवं नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करा उनके रजिस्टर में दर्ज करवाया जाकर कमांक एवं दिनांक अंकित कराया जाना अनिवार्य है।)

50/- रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) कोटे हेतु आरक्षित भूखण्ड हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

| मेंआयु भित्र कितारी पुत्र /पुत्री /पत्नी आयु आयु निवासी |
|---|
| शपथ पूर्वक घोषणा करता ∕ करती हूँ कि:- |
| Kind Jan and arking Gran |
| यह िक नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की अम्बेरी आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरिक्षत भूखण्ड हेतु एक मात्र में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ।पिरवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरिक्षत कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है। यह िक मेरे पिता/पित/पत्नी सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरिक्षत कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरिक्षत कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व. पिता/पित/पत्नी श्री/श्रीमती |
| हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता |
| घोषणा |
| |
| मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त |
| सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। |
| |
| आवेदक के हस्ताक्षर |
| |
| प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री / श्रीमती / सुश्रीपुत्र / पत्नी / पुत्रीपुत्र / पत्नी / पुत्री |
| ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक को ली है। |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

हस्ताक्षार मय सील प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ नोटरी पब्लिक

50/- रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र निराश्रित (Destitute) भूमिहीन एकल महिला के लिए अनिवार्य

| में | पुत्र ⁄ पत्नी श्रीसशपथ बयान करती हूँ कि :- |
|---------|---|
| | मैं वर्तमान में निराश्रित (Destitute) महिला हूँ एवं मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं हैं। मैं वर्तमान में एकल महिला हूँ। |
| 3- | मैं वर्तमान में भूमिहीन⁄आवासिवहीन महिला हूँ। |
| 4- | सभी स्त्रोंतों से मेरी वार्षिक आय आय 80,000⁄- रूपयों से अधिक नहीं हैं। |
| | सत्यापन |
| | सत्यापन |
| अंकित उ | मैंउपरोक्त शपथ-गृहीता यह शपथपूर्वक सत्यापित करती हूँ कि शपथ पत्र में क्त समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान, विश्वास व जानकारी से सही है इसमें मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है और न ही कोई तथ्य गलत अंकित तथ्य के गलत पाये जाने पर आवंटन की दशा में आवंटन एवं आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। |
| 0114711 | त्वि पर तिति वाच वा ति पर अविव ति पर पर विवास विवास विवास विवास वा ति विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास |
| | आवे <mark>दक के हस्ताक्षर</mark> |
| | प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्रीमती ⁄ सुश्रीपत्नी ⁄ पुत्रीप्ती ⁄ पुत्रीपत्नी ⁄ पुत्री ा शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक को ली है। |
| | हस्ताक्षर मय सील प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ⁄ कार्यपालक मजिस्ट्रेट ⁄ नोटरी पब्लिक |

सैनिक ⁄सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु

(आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

| प्रमाणित किया जाता है कि(रैंक)(नाम)(नाम) | •••••• |
|---|--------|
| 1. यह वर्तमान में भारतीय थल ⁄ जल ⁄ वायु सेना ⁄ सीमा सुरक्षा बल ⁄ केन्द्र रिजर्व पुलिस बल ⁄ सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत हैं। इन | की |
| वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल वार्षिक आय रूपये ँप्रितवर्ष हैं/अथवा | |
| 2. ये सशस्त्र सेनाओं ⁄सुरक्षा बलों से दिनांक को सेवानिवृत हुए हैं तथा सेवानिवृति के समय इनकी सकल वार्षि | क आय |
| रूपये प्रतिवर्ष थी ⁄ अथवा | |
| 3. इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए दिनांक को हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती | |
| <mark>इनके पति की मृत्यु के समय सकल वार्षिक आय रू</mark> प्रतिवर्ष थी। इन्होनें अभी तक पुनर्विवाह नहीं <mark>कि</mark> | या है। |
| | |
| | |
| स्थान : | |
| दिनांक : | |
| कमान्डिंग ऑफिसर ⁄ | |
| | |
| सक्षम अधिकारी ⁄ सचिव | |
| सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय | मोहर |
| | |

आय प्रमाण पत्र

राज्य/ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये

| यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री | पुत्र ⁄पुत्री ∕पत्नी |
|---|----------------------|
| श्रीइस विभाग मेंप्ये/राजस्थान सरकार के उपक्रम के स्थाई/अस्थाई कर्मचारी हैं इनकी सकल वार्षिक आय वि | द पर कार्यरत है एवं |
| 2020-21 में है। | त्रलाय वष |

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर

{14} {15}

आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जावे। वेतन प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे एवं आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

आय प्रमाण पत्र

गैर वैतनभोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतनभोगी आवेदकों के लिए

| क्रमांक: | दिनांक |
|----------|---|
| | पुत्र ⁄ पुत्री ⁄ पत्नी |
| | तहसील |
| स्थान : | |
| | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ⁄कार्यपालकमजिस्ट्रेट ⁄राजपत्रित अधिकारी. नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर मय मोहर |

{16}

नि:शक्तता प्रमाण-पत्र

| क्रमांक : | | दिनांक : |
|--|--------------------------|----------------------|
| | | |
| प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी | | पुत्र ⁄पुत्री ⁄पत्नी |
| श्री | निवासी | ••••• |
| ग्राम/नगर | जिला | की मेरे |
| द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी। ये शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति है। इ | नकी नि:शक्तता का प्रतिशत | ••••• |
| है। | | |

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट : पूर्व में जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा सकती है।

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण-पत्र

| कर्मांक : | दिनांक : |
|---|---|
| प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/सुश्रीपद | पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी |
| श्रीपदप्य ग्राम√नगर जिला प्रकार है :- | अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका विवरण निम्न |
| प्रिण्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम :- | |
| राज्य सरकार∕जन सम्पर्क निदेशालय में पंजीकरण संख्या :- | |
| अन्य विवरण :- | |
| उक्त श्रीतक है। इनकी वार्षिक | की अधिस्वीकृत पत्रकार हेतु वैधता अवधि इसकल पारिवारिक आय रूपये है। |
| स्थान : | |
| दिनांक : | निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क ⁄प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर |

प्रमाण-पत्र

अनुसूचित जाति ⁄ जनजाति सदस्यों हेतु

| क्रमाक: | ।दनाक : |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| पुत्र / पुत्री / पत्नी | जाति निवासी निवासी |
| | वे सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति ⁄अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति |
| (सूची) संषोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान कं | |
| | |

हस्ताक्षर

तहसीलदार (कार्यालय मोहर सहित)

{18}

मुल निवास प्रमाण पत्र

| (सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य) | | | | |
|--|--|--|--|--|
| क्रमांक : | दिनांक | | | |
| श्री/श्रीमती/सृश्री | राज्य ⁄संघ | | | |
| नोट : यहां प्रयोग किये गये साधारण निवासी का अर्थ वही होगा जो कि रिप्रजेन्टेशन ः | ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 20 में है। | | | |
| | | | | |
| पद उपखण्ड | हस्ताक्षर अधिकारी ⁄ तहसीलदार कार्यालय की मोहर | | | |

शपथ-पत्र

| | पुत्र ⁄ पत्नी श्री | जाति |
|----------|--|------|
| | तहसील जिला जिला | |
| - | अधिकृत संस्था नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अम | • |
| | कर मेरे द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं : | |

- 1. पारदर्शिता आधार पर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा निकाली गई ई-लॉटरी में भूखण्ड मुझे आवंटित होगा, वह मुझे स्वीकार्य
- 2. मेरे द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दी गई समस्त शर्तों का पालन किया जावेगा।
- 3. मुझे ई-लॉटरी में भूखण्ड आवंटित होने पर देय निर्धारित राशि मेरे द्वारा नियत समय पर आवष्यक रूप से नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के निर्धारित खाते में अदा की जायेगी।
- 4. मेरे द्वारा यदि बैंक से ऋण राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध मेरे भूखण्ड का आवंटन बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, तो उससे मुझें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी एवं मेरे द्वारा लिखित हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित इस शपथ-पत्र को ''ऋण अनुबन्ध'' का भाग बनाया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

(नोटराईज्ड सत्यापन)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(लॉटरी में सफल आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र 50 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

50/- रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र

| मैं . | पुत्र ∕ पत्नी श्रीसशपथ बयान |
|---------|--|
| कर | ता ∕करती हूँ कि :- |
| 1. | मेरे पास स्वयं या पति ⁄पत्नी के नाम से राजस्थान के किसी भी शहरी क्षेत्र में जिसकी आवासीय आबादी 50,000 या इससे अधिक है, में आवासीय आवासन मण्डल, नगरपालिका, नगरविकास न्यास एवं निकाय द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास भी किसी वर्ग य श्रेणी का नहीं है। |
| 2. | मुझ पर आश्रित किसी व्यस्क अथवा अव्यस्क पुत्र ⁄ पुत्री दत्तक पुत्र ⁄ पुत्री के नाम राजस्थान आवासन मण्डल, नगर पालिका, नगर विकास न्यास एवं निकाय द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास भी किसी वर्ग या श्रेणी का नहीं है । |
| 3. | मुझे मेरे पति ⁄पत्नी या मुझ पर आश्रित व्यस्क, अव्यस्क, पुत्र ⁄पुत्री, दत्तक पुत्र ⁄पुत्री का स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम ∕नगर विकास प्रन्यास द्वारा आवासीय भूखण्ड लीज, होल्ड ⁄फ्री होल्ड पर आवंटित नहीं हुआ है। |
| | सत्यापन |
| | मैं उपरोक्त शपथ-गृहीता यह शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र में कत उक्त समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान, विश्वास व जानकारी से सही है इसमें मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है और न ही कोई तथ्य गलत अंकित है सी तथ्य के गलत पाये जाने पर आवंटन की दशा में आवंटन एवं आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। |
| | आवेदक के हस्ताक्ष |
| पुर्त्र | प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री / श्रीमती /सुश्रीपुत्र/पत्नी/ ।वे उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांकको ली है |
| | हस्ताक्षर मय सील |
| | गॅटरी में सफल आवेदकों को इस शपथ-पत्र का प्रमाणन केवल राजपत्रित अधिकारी∕कार्यपालक मजिस्ट्रेट∕नोटरी |
| पवि | ल्लक से कराया जाना हैं इसके अतिरिक्त अन्य किसी का प्रमाणन मान्य नहीं होगा।) |
| | |

अम्बेरी आवासीय योजना का आवेदन पत्र (ऑनलाईन)

| | Mandatory fields are m | arked with an asterisk (*) | |
|---|--|--|---|
| | Personal Information Of Appl | icant (आवेदक की व्यक्तिगत | ा जानकारी) |
| Applicant's Name in English (आवेदक का नाम अंग्रेजी में)* | Mr 🕶 | S/O D/O W/O Name in English (पिता / पति का नाम अंग्रेजी में)* | Mr ~ |
| Applicant's Name in Hindi (आवेदक का नाम हिंदी में) | श्री ~ | Father/Husband's Name in Hindi (पिता / पति का नाम हिंदी में) | श्री ~ |
| Aadhaar No. (आधार नंबर)* | | DOB (जन्म तिथि)* | dd-mm-yyyy |
| Applicant's Gender (आवेदक का लिंग)* | Select Gender ❤ | Applicant's Marital Status (आवेदक की वैवाहिक स्थिति)* | Select Marital Status V |
| City (शहर)* | | Email (ईमेल)* | |
| Mobile No. (मोबाइल नंबर)* | | LandLine No. (लैंडलाइन नंबर) | |
| Present Address (वर्तमान पता)* | | Permanent Address (स्थाई पता)* | ☐ Same as present address (उक्तानुसार ही) click bere |
| | Details For Registra | tion (पंजीकरण हेतु विवरण) | " |
| Occupation of Applicant * (आवेदक का व्यवसाय) | Select Occupation | Caste/Category * (जाति/श्रेणी) | Select Caste/Category |
| Annual Income of Applicant (Rs.) (आवेदक की सकल वार्षिक आय) * | Annual Income of Spouse (Rs.) (पति/पत्नी की सकल वार्षिक आय) | Annual Income of Dependent (Rs.) (आश्रित की सकल वार्षिक आय) | Applicant+Spouse+Dependent= Total Annual Income (स्वयं+पति/पत्नी+आश्रित =कुल आय)* |
| | | | click here |
| Nominee In Case of Death (मृत्यु की स्थिति में मनोनयन)* | 1. [Name * | [DOB | -Relation With Applicant ➤ * |
| | 2. Name | [DOB | Relation With Applicant ➤ |
| | 3. Name | DOB | Relation With Applicant 🕶 |
| Upload Applicant's Si | ctest Photo* Choose File No file chose colors (ppg, jpeg, png File Size : 20 gnature* Choose File No file chosen g, jpeg, png File Size : 10 to 50 | to 100 KB) | |

Declaration By Applicant (आवेदक द्धारा घोषणा)

- 1. मेरे पति/पत्नी/आश्वित के नाम राजस्थान के किसी भी ऐसे शहर में जिसकी जनसंख्या 50,000 या 50,000 से अधिक है, में कोई आवास/भूखण्ड, नहीं है।
- 3. मैं लॉटरी के बाद 30 दिवस में समस्त मूल दस्तावेज (आधार कार्ड, जाति,आय, आरक्षण, एवं मूल निवास) न्यास कार्यालय, उदयपुर में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करूंगा। जांच पश्चात भूखाण्ड आवंटन में गलत/असत्य तथ्य पाये जाने पर मेरा आवंटन निरस्त करते हुए वरीयता सूची/प्रतीक्षा सूची में नियमानुसार अन्य आवेदक को आवंटन करने पर मेरी कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 5. लॉटरी खुलने के पश्चात मेरे निधन की अवस्था में उक्तानुसार मेरे द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी, यदि इस आवेदन की पात्रता रखता हो तो ही उसके पक्ष में आवंटन मान्य किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावे।
- मेरे निधन की अवस्था में ऊपर वर्णित व्यक्तियों को वरीयतावार उत्तराधिकारी मनोनीत करता हूँ /करती हूँ।
- 7. मुझे लॉटरी में भूखण्ड आवंटित होने पर देय निर्धारित राशि मेरे द्धारा नियत समयावधि में आवश्यक रूप से नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के निर्धारित खाते में अदा की जायेगी।
- 3. मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। इस ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित उक्त समस्त तथ्य एवं घोषणाओं को मैंने सावधानीपूर्वक पढ़ कर समझ लिया है। मेरे द्धारा किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है एवं मुझे उक्त समस्त शर्ते एवं घोषणाए स्वीकार है।